-7

संoसंo–2/आर–177/2023–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : **डाo कमल कान्त नाथ, चिकित्सा पदाधिकारी–सह–सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा का दिनांक–01.06.2022 से 02.02.2023 तक का अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अधिसूचना संo–1017(2), दिनांक–11.09.2020 द्वारा डाo कमल कान्त नाथ को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा में नियुक्ति–सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन में डाo कमल कान्त नाथ द्वारा 15.09.2020 पदस्थापित संस्थान में योगदान देकर उसी दिन दिनांक–15.09.2020 को अपराह्न मे प्रभार सौंपकर उच्चत्तर अध्ययन की शेष अवधि पूर्ण करने हेतु दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा के लिए विरमित हो गये।

उच्चत्तर अध्ययन समाप्ति के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1545(2) दिनांक–18.11.2021 एवं प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा के ज्ञापांक–2786, दिनांक–12.07.2022 के आलोक में डाo नाथ के द्वारा दिनांक–25.07.2022 को स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया गया है।

डाo नाथ का अध्ययन अवधि दिनांक–16.09.2020 से 31.05.2022 तक आदेश संख्या–1874(2) दिनांक–11.11.2025 के द्वारा स्वीकृत है।

विभागीय अधिसूचना संख्या–115(17), दिनांक–31.01.2023 द्वारा डाo नाथ को रेफरल अस्पताल, मखदुमपुर, जहानाबाद में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में डाo नाथ द्वारा दिनांक–03.02.2023 को प्रभार ग्रहण किया गया। वर्त्तमान में डाo नाथ विभागीय अधिसूचना संख्या–652(17), दिनांक–27.06.2023 के आलोक में दिनांक–08.07.2023 को सीनियर रेजिडेन्ट का प्रभार ग्रहण कर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा में कार्यरत है।

इस तरह डाo कमल कान्त नाथ का दिनांक–01.06.2022 से 02.02.2023 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है :–

(1)	दिनांक–01.06.2022 से 24.07.2022 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180 के आलोक में)
(2)	**दिनांक–25.07.2022 से 02.02.2023 तक**		
(i)	दिनांक–25.07.2022 से 13.09.2022 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय)।
(ii)	दिनांक–14.09.2022 को		असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180 के आलोक में)

(iii)	दिनांक–15.09.2022 से 19.09.2022 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय)।
(iv)	दिनांक–20.09.2022 को	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180 के आलोक मे)
(v)	दिनांक–21.09.2022 से 03.11.2022 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय)।
(vi)	दिनांक–04.11.2022 से 30.11.2022 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180 के आलोक में)
(vii)	दिनांक–01.12.2022 से 31.01.2023 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय)।
(viii)	दिनांक–01.02.2023 से 02.02.2023 तक	–	पदग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/आर–177/2023– 1565(2) पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० कमल कान्त नाथ, चिकित्सा पदाधिकारी–सह–सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D>Sec-2>2023>Letter(R)2023